संख्या-32/2025/ 473 /26-3-2025/C.N.-1513982

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-4532/स0क0/शिक्षा-अ/9/5/2024-25 दिनांक 18.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में शासनादेश दिनांक 28-06-2024 व शासनादेश दिनांक 28-11-2024 द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत एवं शासनादेश दिनांक 28-06-2024 द्वारा सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सहित अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शिक्षण संस्था स्तर से पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लॉक त्रुटिपूर्ण सीटों की संख्या को एडिट करने से लेकर अग्रतर कार्यवाही हेतु पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कतिपय शर्तो के अधीन संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष लॉक त्रुटिपूर्ण सीटों की संख्या को रिसेट के उपरांत शिक्षण संस्था द्वारा सीटों की सही संख्या को डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना।	01 मार्च से 02 मार्च, 2025 तक
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा एडिट किये गये सीटों की संख्या की प्रमाणिकता को चेक करके सही होने पर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करके लॉक करना।	03 मार्च से 04 मार्च, 2025 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से लॉक की गयी सीटों	05 मार्च से 06 मार्च, 2025 तक

	की संख्या की प्रमाणिकता को चेक करके डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करना।	
4	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा वास्तविक छात्रों की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापन व अपात्र छात्र को ब्लॉक करना।	10 मार्च से 12 मार्च, 2025 तक
5	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	13 मार्च से 17 मार्च, 2025 तक
6	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	19 मार्च, 2025 तक
7	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	22 मार्च, 2025 तक

1. समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ पूर्व में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्गत समयसारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

2. उक्त समय-सारिणी में निर्धारित तिथियों में सम्बन्धित विभागीय कार्यालय, विश्वविद्यालय, एफिलियटिंग एजेंसी, शिक्षण संस्थाऐं आदि राजकीय अवकाश की तिथियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय खोले जायेंगे।

3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ तथा भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा बिल आदि प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करायी जाएगी।

4. मास्टर फीस के सम्बन्ध में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यवाही हेतु यथा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

5. पूर्व चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को वर्तमान चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Rajneesh Chandra
(रजनीश चन्द्र)
Date: 21-02-2025 18:18:28
विशेष सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।